न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः-- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2013/242 दायर दिनांक 25.10.2013

वादी		प्रतिवादीगण
1. श्रीराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी मण्डूकरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम	1. चेतनराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी मण्डूकरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 2. तहसीलदार डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत्
बन्टवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-- 53, 188 R.T. Act.

उपस्थित–

1. श्रीमहावीर प्रसाद चतुर्वेदी अधिवक्ता वादी।
2. श्री मो0 रफीक अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01
3. श्री हीरसिंह बलारा अधिवक्ता चेलाराम व रामदेव आदेश 01 नियम 10 प्रार्थना पत्र अनुसार।

न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना

–:: निर्णय ::–

दिनांक 02.06.2017

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी सं0 01 दोनों सगे भाई है जो स्व0 पुरखाराम जी के जायन्दा पुत्र है तथा पुरखाराम जी के हक अधिकार कब्जा काश्त एवं स्वामित्व की राजस्व पैतृक भूमि मौजा ग्राम भवाद पटवार हल्का खरवालियां में अवस्थित खसरा सं0 60 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 337 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 338 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं0 339 रकबा 07 बिस्वा, खसरा सं0 340 रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा कुल खसरा 05 कुल रकबा 53 बीघा 01 बिस्वा है जो वर्तमान में वादी व प्रतिवादी सं0 01 के नाम से दर्ज है। वादी व प्रतिवादी सं0 01 के पिता ने अपने जीवन काल में मौखिक बंटवारा कर दिया था। जिसके अनुसार वादी का हिस्सा खसरा सं0 337 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 338 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं0 60 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा तथा खसरा सं0 340 रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा में से 01 बीघा 08 बिस्वा कुल रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा है। प्रतिवादी सं0 01 का हिस्सा खसरा सं0 60 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा में से 09 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 339 रकबा 07 बिस्वा, खसरा सं0 340 रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा में से 16 बीघा 17 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 26 बीघा 10 बिस्वा भूमि है।

उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 01 की संयुक्त जायगा होने के कारण तथा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं होने के कारण बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा करने हेतु वाद करना लाजमी आया है। प्रार्थना वादी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 01 इस आशय की जारी की जावें कि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की राजस्व भूमि मौजा भवाद में अवस्थित खसरा सं0 337 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 338 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं0 60 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा तथा खसरा सं0 340 रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा में से 01 बीघा 08 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 26 बीघा 11 बिस्वा का विधिवत बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तथा प्रतिवादी सं0 01 के शेष भूमि खसरा सं0 60 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा में से 09 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 339 रकबा 07

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

बिस्वा, खसरा सं0 340 रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा में से 16 बीघा 17 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 26 बीघा 10 बिस्वा का विधिवत बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। वादी के खसरा सं0 338 एवं 339 में आवागमन हेतु जो रास्ता निरन्तर खसरा सं0 340 के उत्तर की और सींव सींव पुर्व से पश्चिम 18 फीट का रास्ता की भूमि घोषित कर आवागमन हेतु रास्ता दिलवावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 02 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी सं0 01 की तरफ से वकील श्री मो0 रफीक ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 23.01.2014 को प्रार्थी चेलाराम, खींवाराम की तरफ से आदेश 01 नियम 10 का प्रार्थना पत्र वकील श्री हीरसिंह बलारा ने पेश किया।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट मण्डूकरा में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् व पक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वाके सरहद भवाद के खसरा सं0 60, 337, 338, 339, 340 कुल रकबा 53 बीघा 01 बिस्वा भूमि वादी तथा प्रतिवादी सं0 01 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है। दिनांक 23.01.2014 को प्रार्थी चेलाराम व खींवाराम ने आदेश 01 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पैतृक सम्पति मानकर पक्षकान बनने हेतु पेश किया। परन्तु पैतृक सम्पति का किसी प्रकार का कोई सबूत पेश नहीं किया। अतः आदेश 01 नियम 10 का प्रार्थना पत्र सारहीन व आधारहीन होने के कारण खारीज किया जाता है। वादी व प्रतिवादी सं0 01 की भूमि संयुक्त खातेदारी की होने के कारण बंटवारा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवचेन, वाद वादीगण, स्वीकार किया जाकर डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद भवाद के खसरा सं0 337 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 338 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं0 60 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा तथा खसरा सं0 340 रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा में से 01 बीघा 08 बिस्वा कुल रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा वादी का हिस्सा घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है खसरा सं0 60 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा में से 09 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 339 रकबा 07 बिस्वा, खसरा सं0 340 रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा में से 16 बीघा 17 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 26 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 01 के घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी के खसरा सं0 338 एवं 339 में आवागमन हेतु जो रास्ता खसरा सं0 340 के उत्तर की और सींव सींव पुर्व से पश्चिम 18 फीट की भूमि निरन्तर आवागमन हेतु रास्ता रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **02.06.2017** को कोर्ट कैम्प मण्डूकरा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2013/242 दायर दिनांक 25.10.2013

वादी		प्रतिवादीगण
श्रीराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी मण्डूकरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. चेतनराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी मण्डूकरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 2. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत् बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T. Act.

दिनांक 02.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हगारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महावरी प्रसाद चतुर्वेदी अधिवक्ता वादी व श्री मो0 रफीक अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 तथा श्री हीरसिंह बलारा प्रतिवादी खींवाराम व चेलाराम की ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर सरहद भवाद के खसरा सं0 337 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 338 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं0 60 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा तथा खसरा सं0 340 रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा में से 01 बीघा 08 बिस्वा कुल रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा वादी का हिस्सा घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है खसरा सं0 60 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा में से 09 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 339 रकबा 07 बिस्वा, खसरा सं0 340 रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा में से 16 बीघा 17 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 26 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 01 के घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी के खसरा सं0 338 एवं 339 में आवागमन हेतु जो रास्ता खसरा सं0 340 के उत्तर की ओर सींव सींव पुर्व से पश्चिम 18 फीट की भूमि निरन्तर आवागमन हेतु रास्ता रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **02.06.2017** को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट मण्डूकरा में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुंदायलह	रूपया	
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner